मरीन टाइम्स पब्लिकेशंस प्राईवेट लिमिटेड

बनाम

श्रीराम ट्रांसपोर्ट एंड फाईनेंस कंपनी लिमिटेड एवं एक अन्य

26 अक्टूबर, 1990

[एम. एच. कनिया और आर. एम. साही, न्यायाधिपतिगण]

महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 : धारा 91 सहकारी समिति - एक सदस्य और एक गैर-सदस्य के बीच सोसायटी के स्वामित्व वाले भवन में कार्यालय परिसर को बेचने का समझौता-सहकारी समिति की मंजूरी के अधीन समझौता - सहकारी समिति द्वारा अनुमति से इनकार - सहकारी न्यायालय में समझौते के विनिर्दिष्ट पालन और समझौते की पुष्टि के लिए सोसायटी को निर्देश देने के लिये गैर-सदस्य द्वारा विवाद का रेफरेंस और समझौते की पुष्टि के लिए सोसायटी को निर्देश देने की प्रार्थना करना - गैर-सदस्य का दावा कि क्या किसी सदस्य के विवाद के माध्यम से सोसाइटी के खिलाफ दावा - विवाद "क्या समिति के व्यवसाय को छू रहा है" - सहकारी न्यायालय को क्या विवाद पर क्षेत्राधिकार है।

अपीलकर्ता कंपनी, सहकारी समिति की एक सदस्य, प्रतिवादी संख्या 2, का कार्यालय परिसर प्रतिवादी संख्या 2 के स्वामित्व वाली इमारत में था। इसने उक्त परिसर को प्रतिवादी संख्या 1, एक गैर-सदस्य को बेचने के लिए सहकारी समिति के अनुमोदन के अधीन, एक समझौता किया। सहकारी समिति ने परिसर के हस्तांतरण की अनुमति देने से इंकार कर दिया। प्रतिवादी संख्या 1 ने महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 91 के तहत सहकारी न्यायालय में अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2 सहकारी समिति के खिलाफ एक विवाद अनुबंध की विनिर्दिष्ट

पालना की डिक्री के लिये और सहकारीसमिति को उक्त करार के अनुमोदन के निर्देश देने के लिये, दायर किया।

सहकारी न्यायालय ने क्षेत्राधिकार के अभाव में विवादको खारिज कर दिया। प्रतिवादी संख्या 1 की अपील पर, महाराष्ट्र सहकारी अपीलीय न्यायालय ने सहकारी न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। सहकारी अपीलीय न्यायालय के आदेश के खिलाफ, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसे यह मानते हुए खारिज कर दिया गया कि विवाद अधिनियम की धारा 91 द्वारा शासित था।

उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ इस न्यायालय में अपील में, अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि पक्षो के बीच विवाद धारा 91 द्वारा शासित नहीं था क्योंकि यह न तो 'समाज' के व्यवसाय को छूने वाला'विवाद था और न ही यह किसी सदस्य के माध्यम से समाज के विरूद्व दावा करने वाले व्यकित के बीच का विवाद है।

अपील की अनुमति देते हुये देना और उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुये इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1. उक्त अधिनियम की धारा 91(1) के प्रावधान के अंतर्गत किसी विवाद को सहकारी न्यायालय में भेजे जाने से पहले यह न केवल आवश्यकहै कि विवाद धारा 91 की उपधारा (1) में वर्णित प्रकार का होना चाहिये लेकिन यह भी आवश्यक है कि उक्त विवाद के पक्षकार उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ए) से (ई) में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी से संबंधित हो। [473 बी]

2. वर्तमान मामले में प्रतिवादी नंबर 1, जो एक गैर-सदस्य है, का मुख्य दावा समझौते के विनिर्दिष्ट पालन के लिये एक डिक्री के लिये था। एक आदेश के लिए प्रार्थना, कि प्रतिवादी संख्या 2 समिति को उक्त समझौते को अपनी मंजूरी देने के लिये निर्देशित किया जाना चाहिये, विनिर्दिष्ट पालना की राहत को पूरा करने की दृष्टि से की

गई एक सहायक प्रार्थना मात्र थी। समझौते को विशेष रूप से निष्पादित करने का मुख्य दावा किसी व्यक्ति (गैर-सदस्य) द्वारा समिति के खिलाफ किया गया दावा नहीं कहा जा सकता है। समझौते को विशेष रूप से निष्पादित करने का मुख्य दावा किसी व्यक्ति (गैर सदस्य) द्वारा समिति के खिलाफ किया गया दावा नहीं कहा जा सकता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि समिति के खिलाफ दावा किसी सदस्य, अपीलकर्ता के माध्यम से किया गया है, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब अपीलकर्ता के खिलाफ उक्त समझौते की पालना की डिक्री पारित की जाती है, कि यह तर्क दिया जा सकता है कि अन्य राहत अर्थात, प्रतिवादी संख्या 2 को उक्त समझौते को मंजूरी देने का निदेर्श देने वाले आदेश के लिये एक सदस्य के माध्यम से समिति के खिलाफ दावा किया गया है। नतीजतन, यह नहीं कहा जा सकता कि विवाद अधिनियम की धारा 91(1) (बी) के दायरे में आता है। इसलिये उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती की कि विवाद के दोनो पक्ष अधिनियम धारा 91 (1) (बी) के तहत आने वाली श्रेणियों से संबंधित थे। [473 ई-एच; 474 ए]

डेक्कन मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम मैसर्स डलीचंद जुगराज जैन एवं अन्य, [1969] 1 एस. सी. आर. 887; मैसर्स लेओंग और एक अन्य बनाम श्रीमती जिनाभाई जी. गुलराजामी और अन्य , ए. आई. आर. 1981 बॉम्बे 244 और सांवरमल केजरीवाल बनाम विश्व कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड और अन्य, [1990] 2 एससीसी 288, अंतर स्पष्ट किया गया।

ओ. एन. भटनागर बनाम श्रीमती रूकीबाई नरसिंदास और अन्य, [1982] 3 एस. सी. आर. 681, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 4979/1990

(रिट याचिका संख्या 6058/1986 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 25.8.1989 से।)

वी. एम. तारकुंडे , डी. आर. पोद्दार और वी. बी. जोशी, अपीलकर्ता के लिये।

के. पी. परासरन (एन. पी.), राम सुब्रमण्यम, ए. के. गांगुली, आर. पी. भट, के. स्वामी और ए. एस. भास्मे, प्रतिवादीगणो के लिये।

न्यायालय का निर्णय कनिया, न्यायाधिपति, द्वारा दिया गया।

अनुमति दी गई। वकीलों को सुना गया।

यह बॉम्बे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश फैसले से एक अपील है, जिसमें उस न्यायालय के अपीलीय पक्ष में अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 6058/1986 को खारिज कर दिया गया था। अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 1 भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत निगमित कंपनियाँ हैं। प्रतिवादी संख्या 2 महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1961 (इसके बाद "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति है। अपीलार्थी प्रतिवादी सं. 2 - सहकारी समिति का सदस्य है और उसका कार्यालय परिसर प्रतिवादी सं. 2 के स्वामित्व वाली इमारत में है। 10 सितंबर, 1985 से कुछ समय पहले अपीलार्थी ने उक्त कार्यालय परिसर को प्रतिवादी संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 2 के अनुमोदन के अधीन बेचने के लिए एक समझौता किया। उक्त समझौते की शर्तों को 10 सितंबर, 1985 को अपीलकर्ता द्वारा उपाध्यक्ष और प्रतिवादी संख्या 1 के अध्यक्ष को संबोधित एक पत्र में शामिल किया गया था। उक्त पत्र में यह निर्धारित किया गया था कि उक्त परिसर की कीमत 2000 रूपये प्रति वर्गफीट की दर से गणना की जानी थी। पत्र में आगे कहा गया है:

> "हम आपको भवन के स्वामित्व वाली सहकारी समिति की मंजूरी के अधीन इसे बेचने के लिये सहमत है।

हम आपको खाली कब्जा प्रदान करेंगे और उसे सभी भारो से मुक्त तभी सौंपेंगे जब हम अपनी कंपनी के लिये वैकल्पिक आवास प्रापत करने में सक्षम होंगे।"

उक्त समझौते के तहत प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा अपीलकर्ता को डिमांड ड्राफ्ट द्वारा Rs.50,000 की राशि का भुगतान किया गया था। 15 नवंबर, 1985 के एक पत्र द्वारा अपीलार्थी ने उक्त कार्यालय परिसर को प्रतिवादी नंबर 1 को हस्तांतरित करने के लिये प्रतिवादी संख्या 2 की 18 अपीलकर्ता को संबोधित अपने पत्र दिनांक 18/11/1985 द्वारा प्रतिवादी नंबर 2 ने कहा कि अपीलकर्ता से समिति की स्थापित प्रथा के अनुसार पहली प्राथमिकता के रूप में उक्त परिसर को समिति के मौजूदा सदस्यो को हस्तांतरित करने की पेशकश करने का अनुरोध किया गया था। इसमें आगे कहा गया है कि यदि प्रतिवादी नंबर 2 के मौजूदा सदस्य उक्त परिसर को खरीदने के इच्छुक नहीं हे, तो परिसर किसी बाहरी अंतरिती को हस्तांतरण के लिये दिया जा सकता है। 22 नवंबर, 1985 के अपने पत्र के द्वारा, प्रतिवादी संख्या 1 को संबोधित करते हुये, अपीलकर्ता ने बताया कि प्रतिवादी नंबर 2 ने स्थानातंतरण की अनुमति देने से इंकार कर दिया था, जब तक कि परिसर को पहले प्राथमिकता के आधार पर समिति के मौजूदा सदस्यो को पेश नहीं किया गया हो। उक्त पत्र में तब कहा गया था कि आगे बातचीत जारी रखना संभव नहीं है। उक्त पत्र के साथ ऊपर उल्लिखित रूपये 50,000 का डिमांड ड्राफट अपीलकर्ता द्वारा वापस कर दिया गया था। बिना किसी अतिरिक्त पत्राचार के प्रतिवादी संख्या 1 ने दावे के विवरण के माध्यम से अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ सहकारी न्यायालय संख्या 1, बॉम्बे में एक विवाद दायर किया, जिसे सुविधाजनक रूप से एक वादपत्र के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।

वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 1 ने अन्य बातो के साथ साथ कहा कि अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को किये गये वादो और अभ्यावेदन पर उसने एक आई.एम. चौकसे, स्वंय को अपीलकर्ता के अध्यक्ष के रूप में प्रस्तुत कर रहे और एक एस. रामाकृष्णनन, उसकी पत्नी के प्रतिनिधि होने का दावा कर रहे, जो कि अपीलकर्ता की निदेशक थी, को रूपये 2,60,000/- की राशि का भुगतान किया था। प्रतिवादी संख्या 1 ने आगे दावा किया कि उसने बिना रसीद लिये अपीलकर्ता को 40 हजाररूपये की नकद राशि का भुगतान किया था। प्रतिवादी नंबर 1 ने आग्रह किया कि अपीलकर्ताकी ओर से कार्य कर रहे चौकसी और रामकृष्णनन और प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से कार्य कर रहे एक कर्नल जी. डी. हडेप द्वारादिये गये आश्वासन के लिये कि अपीलकर्ता उक्त परिसर को नवंबर, 1985 के अंत तक स्थानांतरित करने की स्थिति में होगा और प्रतिवादी संख्या 2 इस तरह के हस्तांतरण पर कोई आपत्ति नहीं होती, तो प्रतिवादी नंबर 1 ने अपीलार्थी को इतनी बड़ी राशि का भुगतान नहीं किया होता। प्रतिवादी संख्या 1 ने आगे कहा कि अपीलार्थी और प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 1 से वादा किया था कि वे कुछ दिनों के भीतर उक्त परिसर के हस्तांतरण की औपचारिकताओं को पूरा कर लेंगे और इसमें कोई आपत्ति या बाधा उक्त हस्तांतरण में नहीं होगी। प्रतिवादी संख्या 1 ने आगे कहा कि यह समझने के लिये दिया गया था कि अपीलार्थी और प्रतिवादी संख्या 2 उक्त परिसर को किसी तीसरे पक्ष को बड़ी राशि के बेचने की साजिश कर रहे थे। प्रतिवादी नंबर 1 अनुबंध के अपने हिस्से को निष्पादित करने के लिय तैयार और इच्छुक था और उसने अनुबंध के विनिर्दिष्ट पालना के लिये आदेश देने की प्रार्थना की। वादपत्र के पेराग्राफ 10 का प्रासंगिक भाग, जो क्षेत्राधिकार से संबंधित है, यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिवादी संख्या 2 एक सहकारी समिति है और उक्त परिसर के हस्तंतरण और बिक्री में अत्यंत रूचि रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि हस्तंतरण अधिनियम के प्रावधानो के उपनियमो, और नियमो के अंतर्गत किया

गया है। प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 1 और अपीलकर्ता, जो प्रतिवादी संख्या 2 का सदस्य है, के बीच हुये लेन देन में सक्रिय भाग लिया था और प्रतिवादी संख्या 1 अपीलकर्ता के माध्यम से अपने अधिकारो का दावा कर रहा था जो सदस्य था और इसलिये विवाद का विषय उक्त अधिनियम की धारा 91 के अनुभाग के दायरे में आता है। प्रतिवादी संख्या 1 ने यह घोषणा करने के लिए प्रार्थना की कि उपरोक्त विवाद उक्त अधिनियम की धारा 91 के तहत आने वाला एक विवाद है और प्रार्थना की कि अपीलार्थी और प्रतिवादी सं. 2 को 10 सितंबर 1985 के पत्र में दर्ज समझौते को विशेष रूप से पालना करने के लिये निर्देश दिया जाना चाहिए। वादपत्र में बाकी प्रार्थनाएं हमारे उद्देश्यों के लिए महत्वहीन हैं।

बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कुछ आदेशों के अनुसार, सहकारी न्यायालय ने एक मुद्दा तय किया कि क्या उसके पास विवाद पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है। न्यायालय ने इस मुद्दे पर प्रतिवादी संख्या 1 के नेतृत्व में साक्ष्य दर्ज किये, और अधिकार क्षेत्र के अभाव में विवाद को खारिज कर दिया। इस आदेश को महाराष्ट्र सहकारी अपीलीय न्यायालय, बॉम्बे ने 9 सितंबर, 1986 को अपने आदेश द्वारा खारिज कर दिया । अपीलार्थी ने उक्त आदेश को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। विद्वान एकल न्यायाधीश, जिन्होंने उक्त रिट याचिका की सुनवाई की, ने उसे खारिज कर दिया और अभिनिर्धारित किया कि मामला उक्त अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों द्वारा शासित था। यह वह निर्णय है जिसे अपीलार्थी द्वारा हमारे समक्ष चुनौती देने की मांग की गई है।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री तारकुंडे द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि जिस परिसर से हमारा संबंध है, उसे बेचने का समझौता अपीलकर्ता, प्रतिवादी संख्या 2 के एक सदस्य, एक सहकारी समिति और प्रतिवादी संख्या 1, एक गैर सदस्य के बीच हुआ था। उक्त समझौता प्रतिवादी नंबर 2, एक सहकारी समिति के स्वामित्व वाले

भवन में अपीलकर्ता से संबंधित परिसर को प्रतिवादी नंबर 1, एक गैर सदस्य, को हस्तांतरित करने के लिये था। विवाद में दावा उक्त समझौते के विनिर्दिष्ट पालना को प्राप्त करने के लिये था और प्रतिवादी संख्या 2 को उक्त सहमति को मंजूरी देने का निर्देश देने की प्रार्थना राहत को पूरा करने के लिए एक सहायक प्रार्थना की प्रकृति में थी। मुख्य राहत उक्त समझौते के विनिर्दिष्ट पालना के लिए थी। उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि इस तरह के विवाद को "सोसाइटी के प्रबंधन या व्यवसाय को छूते हुए" वाला विवाद नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 91 की उप-धारा (1) में विचार किया गया है और न ही यह कहा जा सकता है कि प्रतिवादी संख्या 1, एक गैर-सदस्य, एक सदस्य, अर्थात् अपीलार्थी के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 2 समिति के खिलाफ दावा कर रहा था। मांगी गई मुख्य राहत एक सदस्य द्वारा किसी गैर सदस्य को समिति भवन में परिसर बेचने के लिये एक समझौते के विनिर्दिष्ट पालना के लिये थी और ऐसा दावा कभी भी किसी सदस्य के माध्यम से समिति के खिलाफ नहीं कहा जा सकता है।

प्रस्तुत तर्को की सराहना करने के लिये, उक्त अधिनियम की धारा 91 के भौतिक भाग को निर्धारित करना वांछनीय है जो निम्नानुसार कहता है:

91 (1) तत्समय लागू किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुये भी, निर्माण, पदाधिकारियो के चुनाव, सामन्य बैठको के आचरण, समिति के व्यवसाय और प्रबंधन को छूते हुये विवाद, विवाद के किसी भी पक्ष द्वारा, या किसी संघीय समिति द्वारा, जिससे समिति संबंद्व है, या समिति के किसी लेनदार द्वारा सहकारी न्यायालय में भेजा जायेगा, यदि दोनो पक्ष निम्नलिखित में से एक या अन्य है :

"(ए) x x x x x x

(बी) एक सदस्य, पूर्व सदस्य या किसी सदस्य के माध्यम से दावा करने वाला व्यक्ति, किसी समिति का पूर्व सदस्य या मृत सदस्य, या कोई समिति जो किसी समिति की सदस्य है या कोई व्यक्ति जो समिति का सदस्य होने का दावा करता है।

(सी) x X X X X

(डी) x X X X X

(ई) x X X X X X

(3) धारा 93 की उपधारा (3) के तहत अन्यथा प्रदान किये गये को छोउकर, किसी न्यायालय को उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी विवाद के संबंध में किसी भी मुकदमे या अन्य कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।"

उक्त धारा के शेष प्रावधान हमारे उददेश्यो के लिये प्रासंगिक नहीं है।

यह सामान्य आधार है कि इस मामले में विवाद उक्त अधिनियम की धारा 91 की उपधारा (1) के खंड (ए) या (सी) से (ई) के अंतर्गत नहीं आता है और एकमात्र सवाल यह है कि क्या यह उक्त उपधारा के खंड (बी) के अंतर्गत आता है।

हम सबसे पहले अपीलकर्ता के विद्वान वकील की इस दलील पर विचार करने का प्रस्ताव करते है कि भले ही वर्तमान मामले मे विवाद को प्रतिवादी नंबर 2, एक सहकारी समिति के व्यवसाय से संबंधित कहा जा सकता है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि यह एक सदस्य और एक व्यक्ति के बीच का विवाद था, किसी सदस्य और समिति के माध्यम से या धारा 91 (1)(बी) के अंतर्गत आने वाले किसी भी वर्ग के बीच दावा करते हुये। प्रतिवादी संख्या 1, एक गैर सदस्य, द्वारा किया गया प्राथमिक दावा, अपीलार्थी के खिलाफ था और इसलिए, सदस्य के रूप में अपीलकर्ता के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा समिति के खिलाफ किसी भी अधिकार का दावा करने का कोई सवाल ही नहीं था। प्रतिवादी संख्या 2-समिति के खिलाफ निर्देशित समझौते की

मंजूरी के लिये प्रार्थना केवल तभी दी जा सकती थी या उस पर विचार किया जा सकता था, यदि अपीलकर्ता के खिलाफ विनिर्दिष्ट पालना का आदेश दिया गया हो और यह एक सहायक प्रार्थना की प्रकृति में हो, जो कि मुख्य विवाद की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं करेगा। उन्होंने डेक्कन मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बनाम मैसर्स डालीचंद जुगराज जैन और अन्य, [1969] 1 एस. सी. आर. 887 में इस न्यायालय के फैसले पर मजबूत भरोसाव् व्यक्त किया। माना जाता है कि उक्त मामले के तथ्य, हमारे सामने मौजूद मामले के तथ्यो के अनुरूप नहीं है। हालांकि, विद्वान वकील ने जिस बात पर जोर दिया, वह यह थी कि उस मामले में उक्त अधिनियम की धारा 91 (1) (बी) की व्याख्या करते हुये, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि इससे पहले कि किसी व्यक्ति को किसी सदस्य के माध्यम से दावा करने के लिए कहा जा सके, दावा एक प्रक्रिया या लेनदेन के माध्यम से उत्पन्न होना चाहिए, जिसमें सदस्य ने एक सदस्य के रूप में सोसायटी के साथ प्रवेश किया था। उस मामले में, चौथे प्रतिवादी ने अपीलकर्ता बैंक से ऋण प्राप्त किया, जो कि 1912 के सहकारी समिति अधिनियम के तहत एक सहकारी समिति के रूप में स्थापित एक बैंकिंग कंपनी थी और ऋण के लिये सुरक्षा के रूप में बैंक के पास कुछ संपत्ति गिरवी रखी थी। चूंकि उन्होंने ऋण के पुनर्भुगतान में चूक की थी, इसलिए संपत्ति को 1960 के उक्त अधिनियम की धारा 100 के तहत बैंक को हस्तांतरित कर दिया गया था। भौतिक कब्जा भी बैंक को सौंप दिया गया था इस बीच, चौथे प्रतिवादी ने एक समझौता निष्पादित किया था जिसमें उल्लेख किया गया था कि संपत्ति अपीलार्थी बैंक को गिरवी रख दी गई थी, और जिसके तहत इमारत का पूरा भूतल पहले प्रतिवादी को मासिक किराए पर दिया गया था। बैंक ने पहले प्रतिवादी को परिसर खाली करने के लिए कहा, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया, इसके बाद बैंक ने जिला उप-पंजीयक, सहकारी समितियों, बॉम्बे में आवेदन किया और प्रार्थना की कि बैंक और पहले प्रतिवादी

के बीच विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों के तहत मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए। सहायक पंजीयक ने इस आशय का आदेश पारित किया कि वह इस बात से संतुष्ट था कि उक्त अधिनियम की धारा 91 (1) के अर्थ में कोई विवाद था और उन्होने इसे अपने नामांकित व्यक्ति के निर्णय के लिए इसे संदर्भित किया। प्रथम प्रतिवादी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका द्वारा आदेश को सफलतापूर्वक चुनौती दी। अपील पर इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब मूल मालिक पट्टे को निष्पादित किया तो वह एक सदस्य के रूप में नहीं बल्कि बंधक के रूप में काग्रकर रहा था और इसलिये, बैंक का दावा उक्त अधिनियम की धारा 91 (1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है। इस न्यायालय ने आगे यह विचार किया कि धारा 91 में "समाज के व्यवसाय को छूने वाली" अभिव्यक्ति में "व्यवसाय" शब्द का अर्थ "समिति के मामले" नहीं है। इसका उपयोग संकीर्ण अर्थों में किया गया है और इसका अर्थ है वास्तविक व्यापार या वाणिज्यिक या समिति के अन्य समान व्यवसाय क्रियाकलाप, जिसके लिये समिति उक्त अधिनियम और नियम और उप-नियमो के अंतर्गत प्रवेश के लिये प्राधिकृत है।

हमे ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता के विद्वान वकील की दलीले स्वीकार किये जाने योग्य है।

उक्त अधिनियम की धारा 91(1) के प्रावधान के अंतर्गत किसी विवाद को सहकारी न्यायालय में भेजे जाने से पहले यह न केवल आवश्यकहै कि विवाद धारा 91 की उपधारा (1) में वर्णित प्रकार का होना चाहिये लेकिन यह भी आवश्यक है कि उक्त विवाद के पक्षकार उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ए) से (ई) में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी से संबंधित हो। और नियमों और उसके उप-कानूनों के तहत। यह सामान्य आधार है कि हमारे समक्ष विवाद के पक्षकार उक्त अधिनियम की धारा 91 की उप-धारा (1) के खंड (ए) या (सी) से (ई) में वर्णित किसी भी श्रेणी से संबंधित नहीं हैं और एकमात्र

सवाल यह है कि क्या उन्हें उक्त उपधारा के खंड (बी) में निर्धारित किसी भी श्रेणी का माना जा सकता है।

हम पाते हैं कि हमारे समक्ष अपीलकर्ता प्रतिवादी संख्या 2, एक सहकारी समिति का सदस्य है। प्रतिवादी संख्या 1 सदस्य नहीं है। हमारे सामने मुख्य प्रश्न यह है कि क्या विवाद में प्रतिवादी संख्या 1 के दावे को अपीलकर्ता, एक सदस्य के माध्यम से, प्रतिवादी नंबर 2 होने के नाते, सहकारी समिति के खिलाफ किया गया दावा कहा जा सकता है। वादपत्र का विश्लेषण करने पर हमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 का मुख्य दावा समझौते के विनिदर्ष्टि पालन के लिए एक डिक्री या आदेश के लिए है, जिसके तहत अपीलार्थी उक्त परिसर को प्रत्यर्थी संख्या 1 को बेचने के लिए सहमत हुआ। यह आदेश कि प्रतिवादी संख्या 2 समिति को उक्त लेनदेन को अपनी मंजूरी देने के लिये निर्देशित किया जाना चाहिये, विनिर्दिष्ट पालना की राहत को पूरा करने के उद्देश्य से की गई एक सहायक प्रार्थना मात्र थी। जहाँ तक समझौते का विनिर्दिष्ट पालन किये जाने के दावे का संबंध है, हम यह देखने में विफल हैं कि इसे किसी व्यक्ति (गैर-सदस्य) द्वारा समिति के खिलाफ किया गया दावा कैसे कहा जा सकता है। समिति के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 का दावा, जैसा कि वाद शिकायत में किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह किसी सदस्य, अपीलार्थी के माध्यम से किया गया है, क्योंकि यह केवल तभी होता है जब उक्त अपीलकर्ता के खिलाफ उक्त समझौते के निष्पादन के लिए एक डिक्री पारित की जाती है, कि यह तर्क दिया जा सकता है कि अन्य राहत, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 2 को उक्त लेनदेन को मंजूरी देने का निर्देश देने वाले आदेश के लिए, एक सदस्य के माध्यम से समिति के खिलाफ दावा किया गया है। इसके अलावा, जैसा कि हमने बताया है कि राहत केवल सहायक राहत की प्रकृति में है, जो विनिर्दिष्ट पालना की मुख्य राहत के लिए सहायक है। हमारी राय में, वाद में दिये गये विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 91 (1) (बी) के

दायरे में नहीं कहा जा सकता है और इसे देखते हुए, उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलत था कि विवाद के दोनो पक्षकारान उक्त अधिनियम की धारा 91(1)(बी) के अंतर्गत श्रेणियो से संबंधित थे। हमारी राय में, हमारे लिए यह तय करना आवश्यक नहीं है कि क्या विचाराधीन विवाद "समाज के व्यवसाय को छूते हुये" वाला था क्योंकि अगर ऐसा था, तो भी इसे उस दृष्टिकोण से सहकारी न्यायालय को नहीं भेजा जा सकता था जैसा कि हम पूर्व में यह निर्धारित कर चुके है।

प्रतिवादी नंबर 1 के लिए विद्वान वकील ने हमारा ध्यान इस न्यायालय के निर्णय ओ. एन. भटनागर बनाम श्रीमती. रूकीबाई नरसिंदास और अन्य। , [1982] 3 एस. सी. आर. 681 की ओर आकर्षित किया और प्रस्तुत किया कि उस निर्णय में "व्यवसाय को छूने" की अभिव्यक्ति के दायरे को डेक्कन मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम मैसर्स डलीचंद जुगराज जैन और अन्य के मामले में दिये गये अर्थ से बढा अर्थ दिया गया है, पहले चर्चा पहले की गई थी। हमारी राय में, यहाँ उक्त अभिव्यक्ति की व्याख्या पर विचार करना आवश्यक नहीं है क्योंकि, यह मानते हुए भी कि "समिति के व्यवसाय को छूने" वाली अभिव्यक्ति को ओ. एन. भटनागर के मामले में एक व्यापक अर्थ दिया गया है, विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया था, कि हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उससे अपील के परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने उक्त अधिनियम की धारा 91 (1) (बी) के प्रावधानों के निर्माण पर अपना निष्कर्ष निकाला है। अन्य निर्णयों का उल्लेख किया गया, अर्थात्, बॉम्बे उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा मैसर्स लेओंग और एक अन्य बनाम श्रीमती जिनाभाई जी. गुलराजामी और अन्य, ए. आई. आर. 1981 बॉम्बे 244 में दिया गया निर्णय, और सांवरमल केजरीवाल बनाम विश्व कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड और अन्य, [1990] 2 एस. सी. सी. 288, में इस न्यायालय का निर्णय; का हमारे सामने मौजूद

प्रश्न से कोई प्रत्यक्ष प्रासंगिकता नहीं है और इसलिए, हम इस पर चर्चा करने के लिए आवश्यक महसूस नहीं करते हैं।

परिणामस्वरूप, अपील को स्वीकार किया जाता है और विवादित निर्णय को अपास्त किया जाता है। विवाद को उजागर करने वाला वादपत्र या दस्तावेज सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिये प्रतिवादी नंबर 1 को वापस कर दिया जायेगा।

हम स्पष्ट कर सकते हैं कि सक्षम न्यायालय यहां अपीलकर्ता के खिलाफ विदिर्ष्टि पालना के लिये डिक्री देने की स्थिति में, प्रतिवादी नंबर 1 के लिय यह खुला होगा कि वह प्रतिवादी नंबर 2 के विरूद्व आदेश प्राप्त करने के लिये रजिस्ट्रार के समक्ष प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ बिक्री समझौते के लेन-देन को मंजूरी देने के लिए विवाद दायर कर सके।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए इस पूरे चरण तक लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील स्वीकार की गई।

टीएनए।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।